कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax&☎ 05964-225234

पत्रांकः– 807 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 16 अगस्त, 2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– **जनपद पिथौरागढ़ में कनालीछीना ल्वाठी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.62 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भः– **उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 172/X-4-15/1(84)/2015, दिनांक 27.03.2015।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्तो का निम्नानुसार अनुपालन कर अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है।

S.NO	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के 5.22 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोउचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित)जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्मायित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एव नामान्तरण किया जायेगा। तथा 6 माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। वन भूमि का हस्तान्तरण एव नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	नोडल खण्ड कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड के पत्राक 1546/ एन0पी0वी0 दिनांक 27.05.2015 द्वारा UTR NO SBIN 215147701748 Date 27.05.2015 द्वारा आवश्यक धनराशि रू0 2516460.00 (एन0पी0वी0 हेतु रू0 1453140.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 463320.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु रू0 600000.00) जमा की जा चुकी है। भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी के पत्र सं0 2116/सात–12/2019–20 दिनांक 20.08.2020 को 3.240 हे0 को हस्तान्तरण नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गई है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या –5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	नोडल खण्ड कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड के पत्राक 1546/ एन0पी0वी0 दिनांक 27.05.2015 द्वारा UTR NO SBIN 215147701748 Date 27.05.2015 द्वारा आवश्यक धनराशि रू0 2516460.00 (एन0पी0वी0 हेतु रू0 1453140.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 463320.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु रू0 600000.00) जमा की जा चुकी है।

(6)

4.	प्रयोक्ता अभिकारण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3 /2007– एफ0सी0, दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिए गये आदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी अलग निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकर्म), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉमप्लेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली– 110003 में जमा कराने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई। धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	एन0पी0वी0, प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छायाप्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	भू–वैज्ञानिक की शर्ते मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के समस्त अभिलेख संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में नीहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है
9.	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

संलग्नः–चार प्रतियों में।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

प्रेषक,

पी०के०पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या: 172 /X-4-15/1(84)/2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 01 अप्रैल मार्च, 2015

विषय: जनपद-पिथौरागढ़ (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में कनालीछीना से ल्वांठी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.82, हे0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2829/FP/UK/ROAD/8912/2015 दिनांक 20 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-पिथौरागढ़ (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में कनालीछीना से ल्वांठी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.82, हे0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0 सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 एवं संख्या एफ0न0-11- 09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.24 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित)जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
5. भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0- 25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं05-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में

2...

जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(पी0के0पात्रो)
अपर सचिव।

संख्या: 172 (1)/X-4–15/1(84)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
7. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
उप सचिव।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़।
दूरभाष / फैक्स नं0 05964–225115 E-mail - pdpwdpth@rediffmail.com

जनपद पिथौरागढ में कनालीछीना से ल्वाठी मोटर मार्ग की अनुपालन आख्या

प्रभावित वन भूमि – 1.620 हेक्टेयर

सैद्धान्तिक स्वीकृति का पत्रांक– 172 / X / 4–15 / 1(84) 2015
दिनांक– 01.04.2015

संख्या: 172 /X-4-15/1(84)/2015

प्रेषक,

पी०के०पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4

देहरादून: दिनांक: 01 अप्रैल मार्च 2015

विषय: जनपद–पिथौरागढ़ (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में कनालीछीना से ल्वांठी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.02, हे0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2829/FP/UK/ROAD/8912/2015 दिनांक 20 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–पिथौरागढ़ (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में कनालीछीना से ल्वांठी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.02, हे0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0न0–11–09/98–एफ0 सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 एवं संख्या एफ0न0–11– 09/98–एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.24 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित)जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्णित मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
5. भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा स0–एस0बी0– 25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं05–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में

2/...

Phone :- 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक /एन०पी०वी०

दिनांक

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

क्रम सं. 3240
दिनांक 14/7/15

विषय — वित्तीय वर्ष 2015—16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ — इस कार्यालय का पत्रांक 1546/एन०पी०वी०, दिनांक 27—05—2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015—16 में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिए एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि ₹ 7,46,28,097.00 (₹ सात करोड़ छियालीस लाख अट्ठाईस हजार सत्तानब्बे) मात्र का भुगतान संदर्भित पत्र द्वारा किया जा चुका है, जिसके U.T.R. No. SBIN215147701748 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

(वाई०एन० राजवंशी),
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

पत्रांक 1687 /एन०पी०वी०

दिनांक 6/6/2015.

प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1— महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं क्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।
4— प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
5— वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर—I, लो०नि०वि०, देहरादून।
6— मुख्य अभियन्ता स्तर—I/स्तर—2, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
7— अधीक्षण अभियन्ता, 12 वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, सिविल वृत्त अल्मोड़ा (1)/नैनीताल (2)/पिथौरागढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/गोपेश्वर (7)/देहरादून (9)/पौड़ी (12)/लो०नि०वि० अधीनस्थ खण्डों को तद्नुसार सूचित करने का कष्ट करेंगे।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

Phone :- 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand

Website-http://pwd.uk.gov.in E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक /एन०पी०वी० दिनांक / /2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय — वित्तीय वर्ष 2015—16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के लिये आवंटन।

संदर्भ — प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून का पत्रांक 409/25 बजट—टी०सी० (एन०पी०वी० एवं प्रतिकर भुग—रा०से०)/2015—16, दिनांक 18—05—2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2015—16 में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिये एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि ₹ 7,46,28,097.00 (₹ सात करोड़ छियालीस लाख अठ्ठाईस हजार सत्तानब्बे) मात्र का भुगतान संलग्न सूची के अनुसार ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से किया गया है।

1. एन०पी०पी० भुगतान हेतु	₹	4,55,16,177.00
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹	1,35,30,206.00
3. पथ वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹	1,55,36,879.00
4. मलवा निस्तारण	₹	44,835.00
योग	₹	7,46,28,097.00

अर्थात कुल ₹ 7,46,28,097.00 मात्र आई०डी संख्या CC0100157105150043 के माध्यम से दिनांक 23—05—2015 द्वारा ***Compensatory Afforestation Fund(CAF), Uttaranchal S B A/c No. 037100101025229*** कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में देय आपको प्रेषित किये जा रहे हैं। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाप्रति भी संलग्न की जा रही है।

संलग्न — 1— आई०डी संख्या CC0100157105150043 की छायाप्रति।
2— संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

पत्रांक 1546 /एन०पी०वी० दिनांक 27/05/2015.

प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1— महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं क्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।
4— प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
5— वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर—I, लो०नि०वि०, देहरादून।
6— मुख्य अभियन्ता स्तर—I/स्तर—2, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
7— अधीक्षण अभियन्ता वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, सिविल वृत्त अल्मोड़ा (1)/नैनीताल (2)/ पिथौरागढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/गोपेश्वर (7)/देहरादून (9)/पौड़ी (12)/लो०नि०वि० अधीनस्थ खण्डों को तद्नुसार सूचित करने का कष्ट करेंगे।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
With you - all the way

e-PayOrder Details

e-PayOrder Number CN36244196

Debit Status Success

Scheduled Time 27-May-2015 [12:00 AM] IST

27-May-2015

Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal

Seven Crores Forty Six Lakhs Twenty Eight Thousand Ninety Seven only 7,46,28,097.00

00000010901749156

DEHRADUN
"CN36244196"

316208SFTPUSER
Maker

Jagat Singh Chauhan
Authorizer 1

0100270515427796

Counterfoil Description E01002127051542794

Transaction Type NEFT Funds transfer

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
000000010901749156	DEHRADUN	7,46,28,097.00

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSCCode	Amount	Credit Status	UTR No
Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal/037100101025229	NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORPORATION BANK/CORP0000371	7,46,28,097.00	Fund settled by RBI with beneficiary Bank	SBIN215147701748

सहायक अभियन्ता
ग्रा० नि० वि० वि०
निदेशालय

संलग्नक:-1

पत्र संख्या 228 /25 वजट (प्रतिकर भुगतान-रा0रो0)/2015-16 दिनांक 08 /05/2015 का संलग्नक।

अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त सड़क निर्माण के प्रकरणों की सूची।

(धनराशि ` में)

क्र0 सं0	मार्ग/परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (है0)	जनपद	अपर प्रमुख नोडल अधिकारी एवं मुख्य वनसंरक्षक तथा अन्य पत्रों का संदर्भ जिनके द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।	एन0पी0वी0 की देय धनराशि	क्षति0 वृक्षारोपण की देय धनराशि	पथ वृक्षारोपण की देय धनराशि	योग (का. 6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तल्ली गिरई बैण्ड से सोनिया-भसार मो0 मार्ग।	0.280	अल्मोड़ा		इको-क्लास के अनुसार निर्धारित धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी है।		प्र0 वना0 से निर्धारित देय धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी	
2	गगास-उडीमहादेव-शैलापानी-भिकियासैण-मरचूला मो0 मार्ग।	13.842	अल्मोड़ा		9094194	3958812	0	13053006
3	काण्डा-जेठाई मो0 मार्ग से गुरना बागेश्वर दफौट मो0 मार्ग।	1.820	बागेश्वर		1537900	520520	800000	2858420
4	रायपुर ब्लाक के नालापानी मार्ग से कोटालगांव मो0 मार्ग।	0.9625	देहरादून		0	0	प्र0 वना0 से निर्धारित देय धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी	
5	अगलीगड्ड से दुधई तक मो0 मार्ग।	2.8184	देहरादून	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्र संख्या 3162/1-41-4 देहरादून दि0 07.05.2015	2646478	732784	0	3379262
6	गोगपुर-लालतप्पड़ मार्ग को घमण्डपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 72 तक मोटर मार्ग।	0.930	देहरादून		0	0	1200000	1200000
7	चण्डाक-मैड़ला-तड़ीगांव मो0 मार्ग।	1.935	पिथौरागढ़		1352565	553410	800000	2705975
8	नाधर-(कुमल्टा) से गंगोलीहाट मो0 मार्ग।	0.819	पिथौरागढ़		734643	0	800000	1534643
9	कांटेगांव-साईखोला-सेरीकाण्डा मो0 मार्ग।	4.830	पिथौरागढ़		4332510	1381380	2000000	7713890
10	अडकिनी-जलतुड़ी मो0 मार्ग।	0.982	पिथौरागढ़		880406	0	500000	1380406
11	भण्डारीगांव-रजवार-वोक्टा-धुराली मो0 मार्ग।	3.870	पिथौरागढ़		3471390	1106820	2000000	6578210
12	सिलोनी-चिमताली-गैंसडूंगा-मझेड़ा-चौरा-जमतड़ी मो0 मार्ग।	2.610	पिथौरागढ़		2341170	746460	1200000	4287630
13	चण्डाक-तांस मो0 मार्ग (पोखरी) से रतवाड़ी ततरोड़ा मो0 मार्ग।	0.955	पिथौरागढ़		667545	0	1800000	2467545
14	रोडीपाली-रसियापाटा मो0 मार्ग।	2.295	पिथौरागढ़		2058615	656370	1000000	3714985

संलग्नक:–1

पत्र संख्या 228 /25 बजट (प्रतिकर भुगतान–रा0रो0)/2015–16 दिनांक 08 /05/2015 का संलग्नक।

अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त सडक निर्माण के प्रकरणों की सूची।

(धनराशि में)

क्र0 सं0	मार्ग/परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (है0)	जनपद	अपर प्रमुख नोडल अधिकारी एवं मुख्य वनसंरक्षक तथा अन्य पत्रों का संदर्भ जिनके द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।	एन0पी0वी0 की देय धनराशि	क्षति0 वृक्षारोपण की देय धनराशि	पथ वृक्षारोपण की देय धनराशि	योग (का. 6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	आपदाग्रस्त एंचोली–जाख–पुरान मो0 मार्ग।	2.970	पिथौरागढ़	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्र संख्या 3162/1–41–4 देहरा...T दि0 07.05.2015	2076030	849420	820000	3745450
16	आपदाग्रस्त बड़ावे–उण्डणा–फुसरखाली–गोधागैर–खर्कगैर मो0 मार्ग।	0.270	पिथौरागढ़		242190	0	400000	642190
17	गाड़ (गरसोली) मो0 मार्ग।	0.810	पिथौरागढ़		726570	0	400000	1126570
18	आपदाग्रस्त कनालीछीना से त्वांठी मो0 मार्ग।	1.620	पिथौरागढ़		1453140	463320	600000	2516460
19	सौरगढ़–चौपड़ा–भट्गांव–बबई मो0 मार्ग का निर्माण।	3.227	रूद्रप्रयाग		2727153	839124	1400000	4966277
20	अलकनन्दा नदी पर निरवाली–धारकोट में झूलापुल का निर्माण।	0.030	रूद्रप्रयाग		इको–क्लास के अनुसार निर्धारित धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी है।	0	प्र0 प्रभा0 से निर्धारित पथ धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी है।	0
21	खुजीर बैण्ड से चौकी बर्सिल एवं खुजीर बैण्ड–चौकी बर्सिल से तमिल्ड सतेराखाल मो0 मार्ग का विस्तार।	0.990	रूद्रप्रयाग		650430	0	प्र0 प्रभा0 से निर्धारित पथ धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी है।	650430
22	सेरा–खरगेड–वांसी–कोटली–रौडिया–जवाड़ी–उत्यांसू–मल्यासू मो0 मार्ग का निर्माण।	8.908	रूद्रप्रयाग		7051484	0	0	7051484
23	देचौरी देगांव व मूसाबंगर के मध्य बौर नदी पर पैदल झूला पुल का निर्माण।	0.120	नैनीताल		125160	0	140946	266106
24	मनुवा गधेरा (सुवाकोट–पोखरी) में 11 मी0 लम्बाई में पैदल पुल का निर्माण।	0.800	नैनीताल		75120	0	245553	320673
25	ग्राम जखोल के निकट सांवनी में रूपिन नदी के ऊपर 80 मी0 लम्बी झूला पुल का निर्माण।	0.211	उत्तरकाशी		138500	0	102492	240992
	कुल योग:– (क0सं0 1 से 25 तक)				44383193	11808420	16208991	72400604

फाईल नं0 25 बजट शीट–01 दि0 08.05.2015

Form – 1

(FOR Linear Project)

government of Uttarakhand

Office of the district collecter Pithoragarh

Date-

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF) Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and oter traditional forest dwellers (recognition of forest rights) act 2006 (RA, for shor) o the dfoest land proposed to diverted to non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEf issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that ....1.62........ hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Work Department, Govt of UK for construction of motor road From ..Kamalichhina...Lawathi.... motor road in pithoragarh district falls within jurisdiction of ..Lawathi,...Silkoli........................ village in Pithoragarh/Didihat tahshil.

It is further certified that

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire ....1.62............. hectares of forest area proposed for divertion a copy of record of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Gram Sabha (s) and sub divisionlevel committee(s) and the district level committee are enclosed as annexure.........to.....annexure..........

(b) The diversion of forest landfor facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have have been completed and the Gram Sabha have given thir consent to it..........

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups. and Pre agricultural communities.

Encl: As above.

Dated.

Signature

District Collector
जिलाधिकारी
Pithoragarh
पिथौरागढ़

उप जिलाधिकारी,
डीडीहाट

1·6 (B)

प्रपत्र–23.4

योजना का नाम :– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत कनालीछीना से ल्वांठी गांव तक मोटर मार्ग।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण योजना के निर्माण हेतु 1.62 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

ह0/–
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

तहसीलदार,
डीडीहाट

ग्रा0 प्र0
कनालीछीना

प्रपत्र–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

...ing of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional ... Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held ... the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. ... P.C.S deputy commissioner, ..Pithoragarh on dated ...-12-14. at time ... at ... in which application claiming rights in ... area measuring ... hect for the construction of .....Road...in.. forest land under FRA. 2006 of the following applicant ...ly processed and recommended by the sub divition level committee of ..P.W.D... sub division were discussed ... consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Pithoragarh.
Dated:..15-12-14

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
पिथौरागढ़

सहायक...,
पिथौरागढ़

प्रारूप–30.2

... का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के कनालीछीना के ठवांठी मो०मा० का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डीडीहाट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, डीडीहाट

... पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ... मार्ग का नव निर्माण कार्य। (शून्य है० आरक्षित वन भूमि, 1.125 है० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.495 है० वन पंचायत भूमि, ... कुल 1.62 है० वन भूमि) का प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने ... अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति ... हेतु कनालीछीना) की दिनांक 10.12.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ... सिंह उपजिलाधिकारी डीडीहाट अध्यक्ष
2– ... उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट सदस्य
3– श्री ... सहायक समाज कल्याण अधिकारी डीडीहाट सदस्य/सचिव
4– श्रीमती पार्वती देवी बी०डी०सी० क्षेत्र ठवांठी सिरौली सदस्य पार्वती देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ में कनालीछीना के ठवांठी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। परियोजना हेतु 1.62 है० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनु... की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत कनालीछीना के ठवांठी मो०मा० परियोजना के निर्माण हेतु 1.62 है० वन भूमि P.W.D. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– डीडीहाट
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील डीडीहाट
जनपद पिथौरागढ़

... कनालीछीना

... तहसीलदार,
...

प्रपत्र–30.3

...–जनपद पिथौरागढ़ के कनालीछीना के ल्वांठी मो० मा० का नव निर्माण कार्य।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>
ग्राम पंचायत का नाम – ल्वांठी, सिरोली
तहसील– डिडिहाट, जिला– पिथौरागढ़

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

[illegible] जनपद पिथौरागढ़ के कनालीछीना के ल्वांठी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 1.125 है० सिविल सोयम भूमि 0.495 है०, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.62 है० वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हस्तान्तरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ल्वांठी द्वारा दिनांक 21/5/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ल्वांठी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है

प्रमाणित किया जाता है सत्य एवं सही है।

[illegible]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
[illegible]

[illegible]
(मनोज [illegible])
ग्राम पंचायत [illegible]
वि०ख०– कनालीछीना, पिथौरागढ़

[illegible]
[illegible]/[illegible]
(ग्राम [illegible])

प्रारूप–30.4

दिनांक 21/7/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – ल्वाठी सिरौली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	अनिल कुमार	Anil
2-	गणेश राम	गणेश
3-	देवेन्द्र कुमार	देवेन्द्र कुमार
4-	त्रिलोक सिंह	त्रिलोक
5-	ललित मोहन	[illegible]
6	K.C Upadhayay	[illegible]
7	देव सिंह	Devsingh
8	राम सिंह	राम सिंह
9	कुन्दन सिंह	कुन्दन
10	नन्दा वल्लभ	नन्दा वल्लभ
11.–	कामी सिंह	कामी सिंह
12.	गणेश राम	गणेश
13.	नन्दन राम	Nandan
14.	कुशाल सिंह	[illegible]
15.	प्रेम सिंह	PremSingh
16.	दिवान सिंह	DewanSingh

[illegible]
सचिव
ग्राम पंचायत / क्षेत्र
(हस्ताक्षर)

[illegible]
(प्रदीप [illegible])
सहायक विकास अधिकारी
जिला पंचायत [illegible]
विकास खण्ड, [illegible]

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० पिथौरागढ़
पत्रांक 2450
दिनांक 29/8/020

आदेश

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या–172/X-4-15/1(84)/.2015 दिनांक 01.04.2015 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) कनालीछीना से ल्वांठी मोटर मार्ग के निर्माण में आ रही 1.62 है0 वन भूमि के बदले 3.240 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार पिथौरागढ़ में (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) कनालीछीना से ल्वांठी मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 1.620 है0 वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी, डीडीहाट की आख्या/संस्तुति के आधार पर ग्राम न्वाली पट्टी पीपली तहसील कनालीछीना के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या–30 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 6530 मध्ये रकवा 3.240 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार कनालीछीना स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक अगस्त 28, 2020

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

29/08/2020

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या–2116/सात–12/2019–20 दिनांक अगस्त 28, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी डीडीहाट।
4. तहसीलदार कनालीछीना को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

28/8

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

ग्राम पट्टी-चौपली तहसील ... जिला ... — (5)

श्रेणी 10 (4) अन्य कारणों से अकृषिक बंजर भूमि

खाता सं.	नाम खातेदार	मौरूसी अवधि वर्ष	खसरा नम्बर	रकबा	विवरण
[illegible]	बंजर ना० का० आबाद		९	१२५४=	
			६०	३॥=	
			८४	५।-	
			क्रमशः॥		
			६५३०	२१५॥	
			६५३१	१४०	
			६५३३	३॥	
			६५३४	२४।=	
			क्रमशः॥		
			६५३५	२१॥=	
			६५३६	१४॥=	
			६५३८	१३।	
			६५४०	१३॥	
			६५४१	८।=	
			६५४२	४॥	
			६५४६	६।	
			६६१४	६।-	
			क्रमशः॥		

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०

अधिशासी अभियन्ता

तैयार की

19/11/2014

स्थल रूप

ग्राम – चामी पट्टी – पीपली उपतहसील कनालीछीना जिला – पिथौरागढ़

विषय – क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन

चयनित क्षेत्रफल 03.500 हे० (175 नाली) भूमि

कनालीछीना – चामी मोटर मार्ग को पड़ने वाली भूमि के सम्बन्धित

खेत संख्या	क्षेत्रफल	चयनित क्षेत्रफल	खाता सं०	नाम खातेदार	भूमि की श्रेणी व विवरण
530	4.388	3.500	30	श्रेणी 10(4) अन्य कारणों से अकृषि	राज्य सरकार की है एवं रक्षित भूमि है वृक्षारोपण के लिए वन भूमि उपयुक्त है।

[illegible]
उपजिलाधिकारी
19/11/14

[illegible]

[illegible]
कानूनगो
दिनांक .../2014

पटवारी
राजस्व उपनिरीक्षक कनालीछीना
19.11.2014

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

26/2/19

[illegible]
[illegible]
[illegible] पिथौरागढ़ (उ.ख.)

प्रपत्र–43

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत कनालीछीना से ल्वांठी गांव तक मोटर मार्ग।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

प्रपत्र–27

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत कनालीछीना से ल्वांठी गांव तक मोटर मार्ग।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

...का नाम:– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत कनालीछीना से ल्वांठी गांव तक मोटर मार्ग।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0 नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0 नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. ~~प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के~~ अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः /FP/UK/ROAD/8912/2015 दिनॉकःदेहरादूनः 15 अप्रैल, 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
धारचूला, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में कनालीछीना से ल्वांठी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.62 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 का पत्रांक 172/X-4-15/1(84)/2015 दिनांक 01–04–2015 (प्रति संलग्न)

महोदय,

राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणं पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 3.24 हे0 ग्राम–ल्वांठी सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 4,63,320.00 (रू0 चार लाख तिरसठ हजार तीन सौ बीस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 में यह उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–ल्वाठी, पटटी–पीपली, तहसील–डीडीहाट, जिला–पिथौरागढ़ की सिविल एवं सोयम वन भूमि, जिसका क्षेत्रफल 3.24 हे0 है, को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित किया जायेगा व इस भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इसे छः माह के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। उक्त कार्यवाही सम्पन्न करवाकर जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गई भूमि का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय को अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 6,00,000.00 (रू0 छः लाख) मात्र की धनराशि सम्बन्धित कोष में जमा की जानी है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में रू0 14,53,140.00 (रू0 चौदह लाख तिरपन हजार एक सौ चालीस) मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जानी है।

4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धनराशि जमा करायी जायेगी।

5. शर्त संख्या–5 व 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदो में देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड़ शाखा में जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु कारपोरेशन बैंक द्वारा जारी पुष्टि का पत्र मय UTR नं0 भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इसकी सूचना तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की जा सके।

6. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों के अन्तर्गत सुरक्षा उपायों हेतु निर्धारित बजट की सूचना उपलब्ध करायी जानी है एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है कि जनपद–कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8. शर्त संख्या–9 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(एच0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 2918 / FP/UK/ROAD/8912/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, जनपद–पिथौरागढ़।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़। **(संलग्नः–यथोपरि)**

(एच0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

8065
12-1
30-4-15

सा0 अनु0
कृ. आ. का. कटे

प्र0 व0 अ0

6 APR 2015

संख्या: 172 /X-4-15/1(84)/2015

प्रेषक,

पी0के0पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

5458
8/4/15

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादूनः दिनांकः 6 | ~~मार्च~~ अप्रैल, 2015

विषयः जनपद-पिथौरागढ़ (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में कनालीछीना से ल्वांठी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.62, हे0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2629/FP/UK/ROAD/8912/2015 दिनांक 20 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-पिथौरागढ़ (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में कनालीछीना से ल्वांठी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.62, हे0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0 सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 एवं संख्या एफ0न0-11- 09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रतयावर्तित भूमि के बदले 3.24 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित)जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नमाान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
5. भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0- 25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं05-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में

जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(पी0के0पात्रो)
अपर सचिव।

संख्याः 172 (1)/X-4–15/1(84)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
7. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
उप सचिव।